कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ

यूआईडी नं0 2014/1833/एमआरटी/मेरठ/36/सीएफओ/10 दिनांक अगस्त 05, 2014

सेवा में,

प्रबन्धक
सर्वोदय एजुकेशन कालिज/स्कूल
खरखोदा,मेरठ ।

विषयः– सर्वोदय एजुकेशन कालिज/स्कूल खरखोदा मेरठ में स्थापित अग्निशमन उपकरणो के क्रियाशीलता के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

सन्दर्भः– आपका प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.7.2014

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र तथा आवेदक द्वारा अग्निशमन विभाग की बैबसाईट पर ऑन लाइन कर यूआईडी नं0 2014/1833/एमआरटी/मेरठ/36/सीएफओ दिनांक 18.7.2014 के साथ उपलब्ध कराये गये मानचित्र के अनुसार शैक्षिक में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणो का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी परतापुर से निरीक्षण कराया गया , तो उनकी निरीक्षण आख्या दिनांक 30.7.2014 के अनुसार प्रश्नगत शैक्षिक भवन का प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र मालिकानो द्वारा प्राप्त नही किया गया है निर्मित शैक्षिक भवन एवं अग्निशमन उपकरणो की वस्तुस्थिति निम्नवत् है–

भवन की सरंचनाः–

1. कुल भूखण्ड एरिया– 2527.50 वर्गमीटर ।
2. निर्मित भूतल कवर्ड एरिया– 822.00 वर्ग मीटर ।
3. निर्मित प्रथम तल कवर्ड एरिया– 822.00 वर्ग मीटर ।
4. भवन की उॅचाई 7.85 मीटर (पैराफिट व ममटी का छोडकर)

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0–2005 के ग्रुप बी–1 एजुकेशनल भवन की श्रेणी के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है ।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1. पहॅुच मार्गः– भवन के सामने 12 मीटर चौडा रोड एनबीसी –2005 में निहित मानको के अनुरूप है तथा प्रवेश द्वार चौडाई 4.5 मीटर जो मानक के अनुसार उपलब्ध है ।
2. सैटबैकः–प्रस्तावित भवन का सैट बैक निम्नवत हैः–
   ए–अग्रभाग–29.87 मीटर ।
   बी–पृष्ट भाग–06.00 मीटर ।
   सी–पार्श्व भाग एक–07.00 मीटर ।
   डी–पार्श्व भाग द्वितीय–06.00 मीटर ।

उपरोक्तानुसार भवन का सैटबैक विनियमावली के अनुसार है । सैट बैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें । सैटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नही होगा ।

3. **निकास मार्गः–**भूतल से टैरस तक जाने हेतु 1.62 मीटर चौडाई की एक आन्तरिक स्टेयरकेस एवं 1.25 चोडाई की एक बाह्य स्टेयरकेस मानचित्र के अनुसार है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है ।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था :– निर्मित शैक्षिक भवन में एनबीसी0 –2005 के सुंसगत प्राविधानो के अन्तर्गत अग्निसुरक्षा व्यवस्था स्थापित पायी गयी –

1. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण:– फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के मानक के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित पाये गये
2. एक्जिट साईनेज–सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साईनेज स्थापित किये गये है

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओ के आधार पर भवन को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है–

1. भवन प्रबन्धक/स्वामी को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओ का सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स शैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये ।
2. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये ।
3. पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण स्थापित की जाये ।
4. प्रेषित मानचित्र के अतिरिक्त किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।
5. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब अग्निशमन विभाग को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुट्रि का निवारण किया जाये ।
6. प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियो को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जाये तथा इमरजेन्सी एवेक्यूवेशन प्लान बनाया जाये इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियो को प्रदान करायी जाये ।
7. प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।
8. भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी का होगा तथा निर्गत प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मेरठ ।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मेरठ ।

प्रतिलिपिः अग्निशमन अधिकारी परतापुर को निरीक्षण आख्या दिनांक 31.7.2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रोफार्मा–अ

अग्निशमन अधिकारियो द्वारा जारी किये जाने वाला फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण–पत्र

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण–पत्र नही है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ।

पत्र सं0–फा0स0–21(कार्यशीलता)/2021 दिनांक:जुलाई 27 ,2021

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,
सर्वोदय पब्लिक स्कूल,
खरखैदा जनपद–मेरठ ।

विषयः– प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरो की कार्यशीलता/रिफलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भः– आपका प्रार्थना पत्र दिनांकः 08.07.2021

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के कम में आपके संस्थान में उपलब्ध 10 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टैस्टिंग हेतु शासनादेश संख्याः–1120(1)/आठ,दिनांक 27.12.1982 में दिये गये निर्देशो के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपये 100/–भारतीय स्टेट बैंक शाखा मेरठ केन्ट जनपद मेरठ में चालान संख्या–जी.क्यू.–00255 दिनांक 26.07.2021 द्वारा जमा कराया गया । प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 10 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया । जिसका विवरण निम्नवत है।

1. चैंकिग का दिनांक 27.07.2021
2. पूर्व चैकिग का दिनांक एवं चैकिंग अधिकारी का नाम निल।
3. संस्थान का विवरणंः– शैक्षिक भवन ।
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्याः 10 अदद ।
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्याः 10 अदद ।
6. चैक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता/रिफलिंग/हाईड्रोलिक टैस्टिंग का विवरण ।

कमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	एबीसी टाईप	04 किग्रा0	10	कार्यशील
2	–	–	–	–
3	–	–	–	–

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता/रिफलिंग/हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है । National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pardesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानको के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाये वांछनीय होगी । भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानको के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता/रिफलिंग/ हाईड्रोलिक टैस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/भवन स्वामी का होगा ।

27.7.21

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मेरठ।

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
मेरठ